न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 35/2023

अपीलांट –
तगाराम पुत्र श्री मेहराराम जाति जाट निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. कंवराराम पुत्र श्री जालाराम
2. जगमालराम पुत्र प्रेमाराम
3. आम्बाराम पुत्र तुलछाराम
4. चेलाराम पुत्र तुलछाराम
5. डालुराम पुत्र तुलछाराम
6. टीकमाराम पुत्र मेहराराम
7. हेमाराम पुत्र मेहराराम
8. जमना पत्नि मेहराराम जाति जाट निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर
9. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./2023/409 दिनांक 28.02.2023 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री विष्णु चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 1 एंव 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 9 प्रर्फोमा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 13.08.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक भू.अ./2023/409 दिनांक 28.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:59 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं [illegible] मौ[illegible]सोनगिरी की ढाणी पटवार मण्डल भेडाणा में खेत खस[illegible] 291 रकबा [illegible]248 हैक्टेयर एवं 290/274 रकबा 0.9955 हैक्टेयर भूमि [illegible] पुत्र जालाराम, जगमा[illegible]पुत्र प्रेमाराम, आम्बा चेला डालू पि. तुलछा, टीकमा[illegible] तगाराम, हेमाराम पि.[illegible]राम जमना पत्नि मेहराराम सा. देह कौम जाट के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 28.02.2023 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी भेडाणा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 409 दिनांक 28.02.2023 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.08.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि मौजा सोनगिरी की ढाणी पटवार मण्डल भेडाणा में खेत खसरा संख्या 271 रकबा 22.5248 हैक्टेयर एवं 290/274 रकबा 0.9955 हैक्टेयर भूमि आई हुए हैं। उक्त भूमि में अपीलांट एवं रेस्पों. द्वारा अपने–अपने हिस्सों माफिक बाहमी तौर पर वादग्रस्त खेतों का बंटवाडा मौके पर कर रखा है तथा आपसी सहमति से किये विभाजन अनुसार ही कब्जा काश्त है। पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढाणियां बनी हुई है ,वादग्रस्त भूमि पर बाहमी तौर बंटवाडा अनुसार माफिक कृषि जोतो का विभाजन की सहमति देते हुए अपने कब्जे एवं काश्त के अनुसार विभाजन के लिए कागजात तैयार कर उतरदाता संख्या 09 के समक्ष आवेदन पेश किया। जिसमें उत्तरदातागण संख्या 01 से 8 का विश्वास कर अपीलांट ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानात किये। अपीलांट द्वारा पुछने पर उत्तरदातागण संख्या 01 से 08 द्वारा बताया गया कि उक्त नक्शा में पटवार हल्का मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार ढाणी, टांके को बिना प्रभावित करते हुए सही रंग भरेगें, परन्तु उत्तरदाता संख्या 01 से 08 ने अपीलांट को रास्ते के लिए मार्ग दिये बिना एवं एकपक्षीय बंटवाडा करवा दिया, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस विभाजन के नक्शे का ज्ञान अपीलांट को नहीं हुआ तथा अरसा कुछ दिन पूर्व जब अपीलांट द्वारा सीमाज्ञान के कारण उठे विवाद पर तहसील कार्यालय में जाकर उक्त सहमति विभाजन की तहसील कार्यालय से नकलें मांगी जो नकले अपीलांट को दिनांक 04.08.2023 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को [illegible] जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 सूचना [illegible] कार्यवाई अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सोनगिरी की ढाणी पटवार मण्डल भेडाणा में खेत खसरा संख्या 271 रकबा 22.5248 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

एवं 290/274 रकबा 0.9955 हैक्टेयर भूमि खातेदारान कंवराराम पुत्र जालाराम, जगमालराम पुत्र प्रेमाराम, आम्बा चेला डालू पि. तुलछा, टीकमाराम, तगाराम, हेमाराम पि. मेहराराम जमना पत्नि मेहराराम सा. देह कौम जाट के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 28.02.2023 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हल्का पटवारी भेडाणा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 409 दिनांक 28.02.2023 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 8.8.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मे अपीलांट को जो हिस्सा दिया गया है उस भूमि में अपीलांट की ढाणीयां की दूरी अधिकतम है तथा उस हिस्से वाली भूमि पर अपीलांट को जाने के लिए उतरदाता संख्या 01 के हिस्से वाली भमि में से होकर जाना पडता है यानि अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि तक जाने के लिए कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने से उक्त विभाजन आदेश निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया गया है बल्कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा अच्छी किस्म की भूमि अपने हिस्से मे रखते हुए तथा उबड–खाबड व कम उपजाउ भूमि अपीलांट के हिस्से में रखते हुए बंटवाडा किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से पाया जाता हैं कि अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है तथा प्रत्येक विभाजित खसरे को रास्ते के सुखाचार से जोड़ा गया हैं, ऐसे में अपीलांट का यह कथन मानने योग्य नहीं हैं कि उसे रास्ते के लिये मार्ग उपलब्ध नहीं कराया गया । इसके अलावा अपीलाधीन विभाजन समस्त खातेदारान की उपस्थिति एवं उनकी स्वतंत्र सहमति से हुआ है ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन भी मानने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने के बावजूद इस अपीलाधीन सहमति बंटवाडे के करीब 6 माह बाद हस्तगत अपील पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया है। इस प्रकार हस्तगत अपील सारहीन होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:59 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर